

राजस्थान सरकार
गृह (युप-12) विभाग

क्रमांक: प.07(10) गृह-12 / कारा / 2023

जयपुर दिनांक:-

2'0 JUN 2023

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने डी.वी क्रिमीनल रिट पीटिशन 1205/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2023 में यह वर्णित किया है कि "The petitioner has filed this writ petition (parole) whereas in the pleadings, it is mentioned that the application for parole has not been entertained and the Jail Authorities are refusing to send the case to the Parole Committee and saying that the prisoner is not entitled to release on parole as per Rajasthan Prisoners Release on Parole Rules, 2021. The application is supported by an an affidavit. As per the Rajasthan Prisoners Release on Parole Rules, 1958, the prisoner has to apply for parole and the Jail Authorities are required to forward the application to the Authorities since there is specific allegation that the Jail Authorities are not even entertaining the application.

Earlier, also we have come across many cases, in which, there is allegation that the application for parole is not being entertained by the Authorities,"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में यह आदेशित किया जाता है कि राज्य के कारागृहों में बंदियों द्वारा राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 1958 (जो कि निरसित हो चुके हैं) या राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 में पेश प्रार्थना-पत्र का संबंधित अधिकारी रजिस्टर में इन्द्राज करें और ऐसे प्रार्थना पत्रों को संबंधित जिला पैरोल समिति को प्रेषित करें एवं जिला स्तरीय समिति पैरोल प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण स्वतः स्पष्ट आदेश (Self Speaking Order) के द्वारा करें। राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 के नियम-11 में आपत्तकालीन पैरोल के प्रार्थना-पत्र को भी संबंधित प्राधिकारी को अविलम्ब निर्णयार्थ प्रेषित करें।

यह भी आदेशित किया जाता है कि राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 के प्रावधानों की जानकारी से कारागारों में सजायपता बंदियों को अवगत करवायें एवं जो बंदी पैरोल के पात्र हो गये हो, उनके प्रार्थना-पत्र भी संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित करें।

राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 में राज्य स्तरीय समिति की बैठक दो माह में एक बार एवं जिला स्तरीय समिति की बैठक एक माह में एक बार करने का प्रावधान है कि कठोरता से पालना की जाये। पैरोल बंदियों द्वारा प्रस्तुत पैरोल प्रार्थना-पत्रों को लम्बित नहीं रखा जाये एवं उनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जाये।

आज्ञा से



(वी. श्रवण कुमार)

शासन सचिव गृह

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. महानिदेशक कारागार जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति राज्य के सभी कारागारों को प्रेषित करें।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट.....।
3. प्रोग्रामर गृह (युप-6) विभाग, आदेश की प्रति गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।



शासन सचिव गृह